

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] दिल्ली, बृहस्पतिवार, 6 दिसम्बर, 2007/अग्रहायण 15, 1929 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 245
No. 210] DELHI, THURSDAY, 6 DECEMBER, 2007/AGRAHAYANA 15, 1929 [N.C.T.D. No. 245

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2007

सं. एफ. 19(4)/सीआईएस/05/4827.—दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम, 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 4 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्द्धन करते हैं।

उक्त अनुसूची में प्रतिष्ठान, इत्यादि शीर्षक के वर्तमान प्रविष्टि क्रम संख्या 260 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जायेगा नाम से :—

261. मैसर्स ट्वेन्टी फोर सेवेन
रिटेल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड,
दुकान नं. 14 एवं 15, सत्यम
कम्प्लेक्स, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली

अधिनियम की धारा 15 व धारा 16 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन :—

1. पात्र कर्मचारियों को धारा 8 में यथा उपबोधित सामान्य दर से दुगुनी दर पर समयोपरि वेतन का भुगतान किया जायेगा,
2. किसी राष्ट्रीय अवकाश पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को उसके बदले में समयोपरि वेतन के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जायेगा,
3. यदि संस्थापन सप्ताह के सभी सात दिन खुला रहता है, तो कर्मचारियों को बारी-बारी से साप्ताहिक छुट्टी दी जायेगी, और नियमों में यथा निर्धारित फार्म 'जे' नियोक्ता प्रदर्शित करेगा,
4. यदि पारी में कार्य चलता हो, तो इस प्रकार से होगा कि किसी भी कर्मचारी को केवल रात्रि पारी में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा और न ही दो पारियों को लगातार एक साथ काम करने की अनुमति है,
5. इस अधिसूचना की एक प्रति व्यापार स्थल पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जायेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जे. सी. नेगी, संयुक्त सचिव

**LABOUR DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 6th December, 2007

No. F. 19(4)/CIS/05/4827.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 4 of the Delhi Shops and Establishments Act, 1954 (Delhi Act 7 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following addition in the Schedule appended to the said Act.

In the said Schedule under "Establishments etc." after the existing entry at serial number 260 the following entry shall be added, namely:—

261. M/s. Twenty Four
Seven Retail Stores
Private Limited,
Shop No. 14 and 15,
Satyam Complex,
Nehru Place,
New Delhi.

From Section 15 and Section 16 of the Act, on the following conditions :—

- (i) overtime wages shall be paid to eligible employees at double the normal rate as provided in Section 8;
- (ii) the employees working on a National Holiday shall be given a compensatory holiday in addition to overtime wages in lieu thereof;
- (iii) if the establishment remains open on all seven days of the week, weekly off to employees shall be given in rotation and the employer shall display Form 'J' as prescribed in the rules;
- (iv) shift working, if any, shall be in such a way that neither any employee is forced to work in night shift only nor overlapping of shifts is permitted;
- (v) copy of this notification shall displayed prominently at the business premises.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,
J. C. NEGI, Jt. Secy.

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना**

दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2007

सं. फा. 21/(60)/2001/स्वा. एवं परि. क. वि./JSHFW/411—414.—ऐसे अतिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों के अतिरिक्त इस संबंध में पूर्व अधिसूचनाओं के अतिक्रमण में तथा स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 12 अक्टूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या 12-72/57-डी के साथ पठित औषधि और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी औषधि निरीक्षकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्दर उक्त धारा के अधीन सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस. प्रकाश, अतिरिक्त सचिव

**HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPTT.
NOTIFICATION**

Delhi, the 6th December, 2007

No. F. 21(60)/2001/H & FW/JSHFW/411—414.—In supersession of earlier notifications in this regard, except in respect of things done or omitted before such supersession, and in exercise of the powers conferred by Section 8 of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 read with the Government of India, Ministry of Health's Notification No. 12-72/57-D, dated the 12th October, 1957, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorize all the Drugs Inspectors of Government of National Capital Territory of Delhi to do all acts under the said section within the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
S. PRAKASH, Addl. Secy.